

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-576 / 2010

संस्थित दिनांक- 20.12.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. आशाराम पुत्र हरप्रसाद लोधी आयु 61 साल निवासी ग्राम खैरा,
2. रामदास पुत्र हरप्रसाद लोधी आयु 51 साल निवासी ग्राम खैरा,
3. शीतल प्रसाद पुत्र दीनानाथ लोधी आयु 46 साल निवासी सांकली,
थाना बसई जिला दतिया म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 18.12.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324 / 34 दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.12.2010 को समय 20:00 बजे फरियादी मोहन सिंह को उपहति कारित करने का अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मोहन सिंह को कुल्हाड़ी से जो कि काटने का उपकरण है, से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-04.12.2010 को शाम करीबन 08:00 बजे ग्राम सांकली का शीतल व गांव के आशाराम व रामदास आये और फरियादी मोहन सिंह से बोले लडकी को पैसे क्यों नहीं भेजते हो। मोहन सिंह बोला कि अदालत में केस चल रहा है, फैसला हो जायेगा, तब देंगे। इसी बात पर तीनों ने मोहन सिंह को गालियां देने लगे, मना करने पर तीनों मोहन सिंह को पटकली लातघूंसों से मारपीट की, शीतल ने मोहन के कुल्हाड़ी मारी तो दाहिने हाथ की छिगली वाली उंगुली में लगी, खून निकल आया था। घटना जहार व गुड्डी बाई ने देखी थी, घटना रात को ही फरियादी मोहन सिंह द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक-913 / 2010 अंतर्गत धारा-323, 504, 34 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध की गई। फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया

गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी मोहन सिंह को धारदार हथियार से उपहति पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक-438/10 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा-324, 323, 504, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03-प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-12.05.2017 को फरियादी मोहन सिंह द्वारा अभियुक्त आशाराम पुत्र हरप्रसाद से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (1) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किय गया था तथा आज दिनांक 18.12.2017 को पुनः फरियादी मोहन सिंह ने अभियुक्त रामदास व शीतल से से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (1) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किया गया है। जिनका निराकरण निर्णय में किया जा रहा है।

04-अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04.12.2010 को समय 20 बजे फरियादी मोहन सिंह को उपहति कारित करने का अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मोहन सिंह को कुल्हाडी से जो कि काटने का उपकरण है, से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 06— फरियादी मोहन लोधी (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण से अपना संबंध स्पष्ट करते हुये कहना है कि उसके भतीजे हरिसिंह (अ0सा0-6) का विवाह अभियुक्त शीतल की लडकी से हुआ था। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण में कण्डिका-3 में कहना है कि शीतल की लडकी आरती हरिसिंह (अ0सा0-6) की पत्नी हैं तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में फरियादी का कहना है कि अभियुक्त शीतल अभियुक्त रामदास का साला है तथा अभियुक्त आशाराम रामदास का बड़ा भाई है तथा फरियादी के अनुसार हरिसिंह (अ0सा0-6) के पिता का नाम रामरतन है, जो कि गांव के नाते उसका भाई लगता है।
- 07— फरियादी के द्वारा न्यायालय में कथनों में स्पष्ट किये गये उपरोक्त संबंधों को अभियुक्तगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है परन्तु स्वयं हरिसिंह (अ0सा0-6) के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में एक ओर व्यक्त किया गया है कि आरती अभियुक्त शीतल की लडकी है पर उसकी कौन है, वह नहीं बता सकता है तथा इस साक्षी ने अपने कथनों में शीतल को अपना ससुर मानने से एक ओर इन्कार किया है, वही दूसरी ओर इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में ही यह स्वीकार किया है कि उसके ससुर का नाम शीतल है तथा अभियुक्त रामदास उसका रिश्तेदार है तथा शीतल की लडकी आरती ने उसके विरुद्ध दहेज का मुकदमा चलाया था एवं भरण-पोषण का मुकदमा दतिया न्यायालय में चलाया था।
- 08— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त शीतल साक्षी हरिसिंह (अ0सा0-6) का ससुर है। जो कि ग्राम साकली का निवासी है। वहीं शेष अभियुक्त रामदास व आशाराम आपस में भाई जो फरियादी के ही गांव खैरा में निवास करते हैं तथा अभियुक्त शीतल अभियुक्त रामदास का साला है। अभिलेख पर आई साक्ष्य से इस संबंध में भी कोई विवाद की स्थिति नहीं है कि घटना के समय हरिसिंह (अ0सा0-6) का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था तथा पत्नी के द्वारा भरणपोषण एवं दहेज की मांग का मुकदमा हरिसिंह (अ0सा0-6) की पत्नी ने हरिसिंह पर दतिया न्यायालय में लगाया था।

- 09- फरियादी मोहन सिंह (अ0सा0-2) जो कि स्वयं को गांव के नाते हरिसिंह (अ0सा0-6) को अपना भतीजा होना बताता है, का घटना के संबंध में अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि अभियुक्त शीतल की लडकी हरिसिंह को ब्याही थीं तथा घटना के समय अभियुक्त शीतल हरिसिंह (अ0सा0-6) की पत्नी को नहीं भेज रहा था और इसी कारण से जब अभियुक्त शीतल घटना के समय अपने जीजा रामदास के यहा आया था, तो उसने फरियादी को घर के द्वारे पर आकर गालियां दी थी, जिस पर फरियादी ने उससे यह कहा था कि "तुम लोग लडकी को नही भेज रहे हैं, उपर से गालियां दे रहे हो"।
- 10- अतः फरियादी मोहन सिंह (अ0सा0-2) के अनुसार घटना में अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ विवाद किये जाने का कारण साक्षी हरिसिंह (अ0सा0-6) व उसकी पत्नी के मध्य चल रहे विवाद थे, जिसके कारण से अभियुक्तगण ने उसके साथ गाली गलौच की थी। फरियादी मोहन सिंह (अ0सा0-2) के द्वारा घटना घटित होने के बताये गये कारण की पुष्टि प्रकरण में दर्ज कराये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-2 से होती है तथा स्वयं हरिसिंह (अ0सा0-6) ने फरियादी के कथनों की पुष्टि की है।
- 11- प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण ने फरियादी मोहन सिंह से आकर यह कहा था कि "लडकी को तुम लोग पैसा क्यों नही भेज रहे हो जिस पर फरियादी ने कहा था कि अदालत में केस चल रहा है फैसला हो जायेगा तब देंगे"। जिस पर से तीनों अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट की। फरियादी ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना से पूर्व अभियुक्तगण से हुई उपरोक्त बार्तालाप के संबंध में कोई कथन अपने मुख्यपरीक्षण में नही दिये है तथा अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में उपरोक्त संबंध में बचाव पक्ष के सुझाव पर ऐसी रिपोर्ट एवं उक्त कथन पुलिस को लेखन कराना बताया है, जबकि अनुसंधानकर्ता अधिकारी जंगबहादुर सिंह जिसके द्वारा फरियादी के कथन लेखबद्ध किये गये, एवं प्रेमनारायण (अ0सा0-8) जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, फरियादी के कहने पर ही उपरोक्त रिपोर्ट एवं कथन लेख करना बताते हैं।
- 12- इसी प्रकार फरियादी अपने कथनों में हरिसिंह (अ0सा0-6) को घटना में पहुंचकर बीच-बचाव करने के संबंध में न्यायालय में कथन देता है। जिसको बचाव पक्ष की ओर से चुनौती देते हुये प्रतिरक्षा ली गई है कि हरिसिंह के घटना स्थल पर उपस्थिति के संबंध में फरियादी मोहन सिंह (अ0सा0-2) ने

प्रदर्श-पी-2 की रिपोर्ट में लेख नहीं कराया है और न ही इस संबंध में पुलिस को कोई कथन दिये हैं। अतः उक्त आधार पर बचाव पक्ष के द्वारा हरिसिंह (अ0सा0-6) की घटना स्थल पर उपस्थिति को संदिग्ध साबित करने का प्रयास किया गया।

- 13- निश्चित रूप से फरियादी मोहन सिंह (अ0सा0-2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों में कुछ बिंदुओं पर प्रदर्श-पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटना का लोप किया गया है, परन्तु देखा यह जाना है कि फरियादी के कथनों में उक्त लोप फरियादी मोहन सिंह (अ0सा0-2) व हरिसिंह (अ0सा0-6) के न्यायालय में दिये गये कथन एवं बताई गई घटना को अविश्वसनीय साबित करने के लिये पर्याप्त है अथवा नहीं।
- 14- विधि के द्वारा यह सुस्थापित है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट, घटना की सूचना मात्र होती है, जिसके अंदर घटना का संपूर्ण विवरण होना अथवा घटना में हुये प्रत्येक क्षण के बार्तालाप एवं कृत्य का उल्लेख होना आवश्यक नहीं है और न ही फरियादी से ऐसी अपेक्षा हो सकती है कि वह टैप रिकॉर्डर के सामान घटना में हुई हर छोटी से छोटी वार्तालाप या अभियुक्तगण के प्रत्येक कृत्य को अपने कथनों में उल्लेखित करे। यह संभव भी नहीं है कि काफी समय हो जाने के पश्चात् कोई व्यक्ति घटना का शब्दशाह विवरण जो कि उसके द्वारा पूर्व में किसी को बताया गया है, पुनः बता सके। समय, व्यक्ति की आयु तथा घटना को ग्रहण करने की उसकी शक्ति पर निश्चित रूप से इस प्रभाव होता है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से किसी घटना को प्रस्तुत करता है।
- 15- वर्तमान प्रकरण में भले ही फरियादी के द्वारा इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि अभियुक्तगण ने उससे इस बात पर विवाद किया था कि हरिसिंह (अ0सा0-6) भरण-पोषण के पैसों नहीं भेज रहा था तथा स्वयं फरियादी इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट व कथन न लेख कराना बताता है। जिसके संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि फरियादी ग्रामीण व्यक्ति है जिसके द्वारा घटना के लगभग पांच वर्ष बाद न्यायालय में कथन दिये गये। अतः ऐसे में समय के साथ व सामाजिक अवस्था को देखते हुये उसके कथनों में उपरोक्त संबंध में आया लोप महत्वपूर्ण नहीं है। घटना वास्तव में किस कारण से घटित हुई यह फरियादी की एवं अन्य साक्षियों की संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर देखा जाना है।

- 16- अभिलेख पर आई साक्ष्य से इस संबंध में विवाद की स्थिति नहीं है कि घटना के पूर्व से हरिसिंह (अ0सा0-6) का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था तथा फरियादी ने स्वयं न्यायालय में यह कथन दिये हैं कि हरिसिंह (अ0सा0-6) की पत्नी को अभियुक्तगण नहीं भेज रहे थे। हरिसिंह (अ0सा0-6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में स्वयं उसकी पत्नी ने दहेज की मांग एवं भरणपोषण का मुकदमा दतिया न्यायालय में लगाया था तथा वह पत्नी को भरणपोषण की राशि नहीं दे रहा था।
- 17- अतः फरियादी मोहनसिंह (अ0सा0-2) व हरिसिंह (अ0सा0-6) द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि घटना घटित होने का एक मात्र कारण भरण-पोषण की राशि की अदायगी न होकर हरिसिंह व उसकी पत्नी के मध्य चल रहे विवाद थे, जिसमें भरण-पोषण की राशि हरिसिंह के द्वारा अदा न किया जाना भी एक कारण हो सकता है। अतः इस संबंध में फरियादी ने घटना से पूर्व हुये वार्तालाप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, तो मात्र उक्त आधार पर फरियादी तथा हरिसिंह (अ0सा0-6) के साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।
- 18- फरियादी मोहन लोधी (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्त शीतल घटना के समय रामदास के यहा आया था और फरियादी अपने घर के द्वारे पर खड़ा था तो पूर्व के विवाद पर अभियुक्तगण ने वहा आकर उसे गालिया दी थीं तथा अभियुक्त रामदास व शीतल में से किसी ने उसे लाठी लट्ठ या कुल्हाड़ी से मारा था, जिससे उसके दाहिने हाथ की उंगुली में चोट आई थी। घटना में फरियादी को दाहिने हाथ की उंगुली में चोट आई थी, इस संबंध में फरियादी के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में पुनः यह कथन दिये हैं उसके दाहिने हाथ की उंगुली में घटना में चोट आई थी।
- 19- हरिसिंह (अ0सा0-6) ने अपने कथनों में फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये व्यक्त किया कि वह घटना के समय रात 08-08:30 बजे भागीरथ के मकान के अंदर टी0वी0 देख रहा था, तो उसे हल्ले की आवाज सुनाई दी और जब उसने बाहर निकल देखा तो आरोपीगण उसके चाचा मोहन सिंह को मार रहे थे, जिसके बाद उसने वहा जाकर अपने चाचा को घर के अंदर कर दिया था। हरिसिंह (अ0सा0-6) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती तक नहीं दी गई है। जिससे इस

साक्षी की उपरोक्त साक्ष्य उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रही हैं।

- 20- अतः फरियादी हरिसिंह (अ0सा0-6) के कथनों से फरियादी मोहन सिंह (अ0सा0-2) के कथनों की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को रात्रि 08-08:30 बजे हरिसिंह की पत्नी व हरिसिंह के मध्य चल रहे विवाद को लेकर अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट की थीं।
- 21- मोहन सिंह (अ0सा0-2) का कहना है कि घटना में उसके दाहिने हाथ की छिगली उंगुली में चोट आई थी। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-1) जिनके द्वारा घटना दिनांक को ही फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की फरियादी के दाहिने हाथ की छोटी उंगुली में गदेली की तरफ हड्डी की गहराई तक 1 गुणित 0.25 सेमी का कटा हुआ घाव था तथा घाव पर एवं कपड़ों पर खून के थक्के पाये गये थे। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये कथन उनके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 से समर्थित हैं, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
- 22- अतः फरियादी के कथनों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है कि उसे घटना में दाहिने हाथ की छोटी उंगुली में उपहति कारित हुई थीं। निश्चित रूप से डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-1) के द्वारा कटे हुये घाव की चोट फरियादी के दाहिने हाथ की उंगुली में पाई गई हैं तथा अभियोजन घटना के अनुसार उक्त चोट शीतल के द्वारा कुल्हाडी के प्रहार से पहुचाई गई थीं, परन्तु वास्तव में उक्त चोट शीतल के द्वारा कुल्हाडी से पहुचाई गई यह साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 23- घटना में अभियुक्तगण द्वारा की गई मारपीट से फरियादी को दाहिने हाथ की उंगुली में कटे हुये घाव की चोट कारित हुई, इस संबंध में अभिलेख पर विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध हैं, परन्तु उक्त चोट शीतल के द्वारा किये गये कुल्हाडी के प्रहार से थीं, इस संबंध में फरियादी मोहन सिंह (अ0सा0-2) के कथन स्पष्ट नहीं है। मोहन सिंह (अ0सा0-2) का अपने मुख्यपरीक्षण में कहना है कि रामदास या शीतल में से किसी ने उसे लटठ या कुल्हाडी में से किसी ने मारा था। अतः मोहन सिंह (अ0सा0-2) यह कहने की स्थिति में नहीं है कि वास्तव में उसे आई चोट कुल्हाडी से कारित हुई थी, या लाठी से।

- 24- इसी प्रकार हरिसिंह (अ0सा0-6) जो कि घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है कि का कहना है कि वह नहीं देख पाया कि आरोपीगण किस चीज से मार रहे थे। हरिसिंह (अ0सा0-6) का भी यह कहना नहीं है कि घटना में मोहन लोधी (अ0सा0-2) को कारित हुई उपहति शीतल के द्वारा किये गये कुल्हाड़ी के प्रहार से थी। अनुसंधानकर्ता अधिकारी जंगबहादुर (अ0सा0-5) के द्वारा घटना में कोई कुल्हाड़ी जप्त नहीं की गई तथा प्रदर्श-पी-7 का मकान तलाशी पंचनामा अभियुक्तगण के पास कुल्हाड़ी ने मिलने के संबंध में बनाया गया।
- 25- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह तो प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने रात्रि 08-08:30 बजे फरियादी मोहन लोधी (अ0सा0-2) के साथ विवाद कर सामान्य आशय रखते हुये उक्त आशय के अग्रसरण में मोहन लोधी (अ0सा0-2) के साथ मारपीट कर उसे दाहिने हाथ की उंगुली में स्वेच्छया उपहति कारित की थी, परन्तु उक्त उपहति धारदार कुल्हाड़ी से कारित हुई, यह साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होती है, चूंकि घटना में अभियुक्तगण के द्वारा की गई मारपीट के परिणाम स्वरूप फरियादी मोहन (अ0सा0-2) को दाहिने हाथ की छोटी उंगुली में उपहति कारित हुई है। अतः अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 324/34 के स्थान पर भा0द0वि0 की धारा 323/34 के आरोप प्रमाणित होते हैं।
- 26- यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी मोहन सिंह की ओर से अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (1) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अनुसार प्रकरण के किसी भी स्तर पर आहत्/फरियादी राजीनामा कर सकता है जिसमें कोई रोक नहीं है। अभियुक्तगण पर पूर्व में भा0द0वि0 की धारा 324/34 के आरोप थे, जो कि शमनीय नहीं थे, परन्तु निर्णय में अभियुक्तगण पर उक्त आरोप साबित न होकर भा0द0वि0 की धारा 323/34 के आरोप साबित होते हैं। पश्चातवर्ती प्रक्रम पर यदि शमनीय धाराओं के आरोप अभियुक्तगण पर पाये जाते हैं तो ऐसे स्तर पर भी राजीनामा स्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत... **Gopal Tiwari And Anr. vs State Of Madhya Pradesh 1999 CriLJ 3417** में प्रतिपादित विधि पर आधारित है।
- 27- अतः उपरोक्त आधार पर प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध शमनीय धारा के आरोप अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा 323/34 प्रमाणित पाये जाने से एवं

फरियादी मोहन सिंह के द्वारा अभियुक्तगण से स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लेने के उपरांत उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक-12.05.2017 एवं आवेदन दिनांक-18.12.2017 अंतर्गत धारा 320 (1) द0प्र0स0 स्वीकार करते हुये राजीनामों के आधार पर अभियुक्तगण आशाराम पुत्र हरप्रसाद लोधी, रामदास पुत्र हरप्रसाद लोधी, शीतल प्रसाद पुत्र दीनानाथ लोधी को भा0द0वि0 की धारा 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

28-अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाणपत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)